

प्रेषक,

डा0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2024

विषय: **परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बच्चों के उपयोगार्थ विभिन्न प्रकार के क्लब का गठन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' मानव मूल्यों के विकास के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्रों में विकास के साथ ही पर्यावरण, जल एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ संवेदनशील नागरिक बनाने के लक्ष्य के निर्धारण हेतु 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के क्लब गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उद्देश्य :-

1. 'पीयर लर्निंग' के माध्यम से निरन्तर सीखने के अवसरों का निर्माण तथा समर्थन करना।
2. सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक कौशल के विकास के साथ ही चुनौतियों के प्रबन्धन में सक्षम बनाना।
3. पूछताछ, नवाचार, खेल-खोज और अन्वेषण की संस्कृति विकसित करते हुये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनन्ददायी बनाना।
4. अर्जित ज्ञान का वाह्य जीवन में कुशलता से प्रयोग किये जाने के लिये नवीन विचारों और समाधानों के लिये सार्थक मंच उपलब्ध कराना।
5. छात्र-छात्राओं की रूचि, विषय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान एवं नेतृत्व कौशल जैसे गुणों का विकास करना तथा सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना।
6. छात्र-छात्राओं को अपने कार्य के लिये जवाबदेह बनाना, गलतियों और अनुभवों से सीखते हुये विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सम्यक् समझ विकसित करना।

क्लब का गठन, कार्य एवं संरचना :-

छात्र-छात्राओं में बेहतर सामाजिक कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम भावना एवं नेतृत्व के गुणों के विकास में कक्षा शिक्षण से पृथक रचनात्मक गतिविधियां उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। तत्क्रम में प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निम्नलिखित क्लब के गठन का निर्णय लिया गया है:-

1. इको क्लब
2. स्पोर्ट्स क्लब
3. गणित क्लब
4. विज्ञान क्लब
5. ज्योग्राफी क्लब
6. रीडिंग क्लब
7. सिविक सेन्स क्लब
8. डिजिटल इनिशिएटिव क्लब
9. कलाएं संगीत एवं नाटक क्लब

10. **हेल्थ एण्ड वेलबीईंग/योग क्लब**

प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रत्येक छात्र-छात्रा की न्यूनतम 04 क्लब में प्रतिभागिता अनिवार्य है। क्लब का नेतृत्व प्रधानाध्यापक/वार्डेन, के0जी0बी0वी0 या उनके द्वारा नामित सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र अथवा अनुदेशक द्वारा किया जायेगा। विद्यालयों में गठित किये जाने वाले क्लब का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

1) **इको क्लब**

इको क्लब के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जागरूक करने, विद्यालय परिसर, उपयुक्त सार्वजनिक स्थल, अमृत सरोवर के निकट वृक्षारोपण करने और स्वच्छता अभियान संबंधी विभिन्न गतिविधियां आयोजित करायी जायेंगी। ईको क्लब का मुख्य उद्देश्य विद्यालय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करना एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना है। विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यालयों में 'Eco Club for Mission LiFE' के गठन तथा क्लब संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदों को विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2) **स्पोर्ट्स क्लब**

इस क्लब के माध्यम से छात्र-छात्राओं को खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने तथा उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को निखारने, टीम भावना एवं अनुशासन विकसित करने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही छात्र-छात्राओं को चुनौतीपूर्ण टीम गतिविधियों में प्रतिभाग करने तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिये समय-समय पर अन्तर्विद्यालयी खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी। स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से 'Fit India Movement' के अन्तर्गत स्थानीय खेलों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा विद्यालय में 'खेलें भी, खेलें भी' गाइडलाइन्स से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जायेंगी।

3) **गणित क्लब**

गणित एक रचनात्मक और अत्यधिक परस्पर संबद्ध अनुशासन है जो रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ही व्यवसाय एवं वित्तीय साक्षरता के लिये भी आवश्यक है। छात्रों के लिये गणित को रोचक बनाने, दुनिया के संबंध में बेहतर समझ एवं गणितीय रूप से तर्क करने की क्षमता विकसित करने तथा विषय के बारे में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गणित क्लब का गठन किया जा रहा है। गणित क्लब गणनाओं और खेलों में पहेली, संख्या पैटर्न तथा अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक सिद्ध होगा।

4) **विज्ञान क्लब**

छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास, तर्क, प्रयोग एवं परीक्षण की पद्धति का अनुसरण करने, अनुसंधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा जीवन के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से विज्ञान क्लब का गठन किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से वर्तमान और भविष्य के लिये विज्ञान के उपयोग और निहितार्थों के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा दिया जायेगा।

5) **ज्योग्राफी क्लब**

विश्व के विविध स्थान, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, वातावरण, समुद्र, ध्रुव एवं रेगिस्तान आदि के बारे में गहन समझ विकसित किये जाने के उद्देश्य से ज्योग्राफी क्लब का गठन किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से छात्र-छात्राओं को भौतिक एवं मानवीय प्रक्रियाओं के अन्तर्सम्बंध, विषय से संबंधित चर्चा, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद हेतु प्रोत्साहित किया जाये, जिससे कि भूगोल विषय की प्रासंगिकता को समझते हुये छात्रों में विषय के प्रति स्वाभाविक आकर्षण विकसित हो सके।

6) **रीडिंग क्लब**

छात्रों में पढ़ने के बारे में रूचि विकसित करने के साथ ही समृद्ध पठन संस्कृति का निर्माण एवं प्रसार 'रीडिंग क्लब' का मुख्य उद्देश्य है। 'रीडिंग क्लब' के माध्यम से पठन अभियान को ज्ञान के साथ ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आनन्ददायक बनाना है, जिससे कि छात्रों में हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत की गहन समझ विकसित हो सके।

7) सिविक सेन्स क्लब (Civic Sense Club)

सिविक सेन्स क्लब का उद्देश्य उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक भावना एवं व्यवहार से है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्र से जुड़ी हुई नैतिक आचार संहिता है। क्लब के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, स्वच्छता, सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार का पालन करना, कानून का पालन करना, दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना तथा सह-अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करना है।

8) डिजिटल इनिशिएटिव क्लब

उच्च गुणवत्ता वाली कम्प्यूटिंग शिक्षा छात्रों को दुनिया को समझने और बदलने के लिये कम्प्यूटेशनल सोच और रचनात्मकता का उपयोग करने के लिये तैयार करती है। कम्प्यूटिंग सुनिश्चित करती है कि छात्र डिजिटल रूप से साक्षर बनें, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोग करने वाले स्वयं को अभिव्यक्त करने और अपने विचारों को विकसित करने में सक्षम हों, जिससे कि डिजिटल दुनिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर सकें। क्लब के माध्यम से रोजमर्रा के काम को आत्मविश्वास के साथ करने और तकनीकी दुनिया में सफल होने के लिये आवश्यक तकनीकी व्यावहारिक विशेषज्ञता को प्रोत्साहित किया जाना है।

9) कला, संगीत एवं नाटक क्लब

कला, शिल्प और संगीत मानव रचनात्मकता के कुछ उच्चतम रूपों को प्रदर्शित करते हैं। इस क्लब का गठन छात्रों को कलात्मक अभ्यास से जुड़े ज्ञान एवं कौशल में प्रवीणता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से छात्र-छात्राओं को भूमिकाएँ निभाने, स्क्रिप्ट तैयार करने, रंगमंच प्रदर्शनों का पूर्वाभ्यास करने और प्रतिक्रिया देने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कला, संगीत और नाटक के क्षेत्र में हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता आदि के संबंध में छात्रों की जागरूक भी किया जाये।

10) हेल्थ एण्ड वेलबीईंग/योग क्लब

छात्र-छात्राओं के समग्र स्वास्थ्य अर्थात् मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास के लिये योग एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये हेल्थ एण्ड वेलबीईंग/योग क्लब का गठन किया जा रहा है। क्लब के माध्यम से छात्र-छात्राओं में स्वयं की सुरक्षा संबंधी जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना का विकास करना है। इसके साथ ही विद्यालय प्रांगण तथा विद्यालय परिसर के बाहर छात्र-छात्राओं को सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं यथा-स्वास्थ्य, आपदा, सड़क सुरक्षा आदि के संबंध में जागरूक करते हुये स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाया जाना है।

गतिविधियाँ:-

क्लब संबंधी गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक शनिवार के अंतिम दो कालांश में किया जायेगा। गतिविधियों का संचालन शिक्षकों के मार्गदर्शन में किया जायेगा तथा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। क्लब के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी :-

1. वृक्षारोपण तथा देखभाल।
2. खेल प्रतियोगिता एवं योग संबंधी गतिविधियाँ।
3. गणितीय पहेलियाँ/गणित किट/विज्ञान किट/आई0सी0टी0 का प्रयोग।
4. मानचित्र, आरेख, ग्लोब आदि से संबंधित कार्य।
5. कलाएं संगीत, नाटक, रंगमंच, रोल प्ले आदि संबंधी विविध गतिविधियाँ।
6. पठन संबंधी गतिविधियाँ/BOOK TALK, STORY TELLING, DEAR: Drop Everything And Read
7. सम-सामयिक घटनाक्रम पर चर्चा यथा-खेल, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे, संचार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण आदि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8. निबन्ध प्रतियोगिता/वाद-विवाद प्रतियोगिता/क्विज प्रतियोगिता/किसी विशिष्ट विषय पर समूह चर्चा।
9. हेल्थ एण्ड वेलबीईंग/स्कूल सेफ्टी संबंधित गतिविधियां।
10. हैण्ड्स ऑन एक्टिविटी, प्रोजेक्ट कार्य, डेमॉन्स्ट्रेशन
11. विषय विशेषज्ञों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुतीकरण।
12. पोस्टर, बैनर एवं पेंटिंग तैयार करना।

‘आज क्या सीखा’ ?

क्लब से संबंधित गतिविधियों के समापन से 15 मिनट पूर्व सभी छात्र-छात्राओं को एक गोल घेरे में बैठाया जायेगा तथा उनसे आज की गतिविधि के संबंध में अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिये कहा जायेगा। अंतिम 05 मिनट में किसी छात्र/छात्रा तथा सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा गतिविधि से संबंधित सारांश प्रस्तुत किया जायेगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं की प्रशंसा की जायेगी तथा समस्त प्रतिभागियों का उत्साहवर्द्धन किया जायेगा। छात्र-छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्लब की गतिविधियों में प्रतिभागिता करते हुये सर्वसंबंधित का मार्गदर्शन किया जायेगा।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में उपर्युक्त विवरणानुसार क्लब का गठन कराये जाने के लिये सर्वसंबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

**भवदीय,
डा० एम० के० शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव।**

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
5. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र० लखनऊ।
6. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
7. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज।
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
10. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

**आज्ञा से,
अवधेश कुमार तिवारी
विशेष सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।